

कार्यालयादेश

वर्तमान में सेशनल परीक्षा के संबंध में लागू नियम-5.3 (प्रवेशार्थी-निर्देशिका 2018-2019 पृष्ठ संख्या-66 पर अंकित) के संबंध में विद्यापरिषद की बैठक 26 मई 2019 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में उक्त नियम को तत्काल छात्रहित में निम्नानुसार परिवर्तित किया जाता है:-

सी.बी.सी.एस. प्रणाली में प्रत्येक सेमेस्टर में सेशनल परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। यदि कोई छात्र सेशनल परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तथा पुनः सेशनल की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है तो ऐसे छात्रों को विभाग के विभागाध्यक्ष/संस्थान/महाविद्यालय के निदेशक/प्राचार्य छात्र की उपस्थिति एवं पूर्व में छात्र द्वारा विभाग/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा अयोजित क्रियाकलापों में लिए गये प्रतिभाग को ध्यान में रखते हुए यदि उचित समझें तो वे छात्र को वाहय सेमेस्टर परीक्षा की भौति ही अपनी अनुमति के पश्चात् विद्या परिषद की उपरोक्त बैठक में लिए गये निर्णय को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के पावर ज्याति खाता संख्या-31568231443 आई.एफ.एससी. कोड-SBIN0010583 में रु. 2500/- प्रति प्रश्न-पत्र जमा करवा कर छात्र को उस सेमेस्टर के परीक्षाफल के घोषित होने से पूर्व पुनः सेशनल परीक्षा में सम्मिलित कर सकते हैं। इस हेतु विश्वविद्यालय के परीक्षा अनुभाग/कुलसचिव से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

अतः छात्रहित में इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

आज्ञा से
कुलपति

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल

पत्रांक: हे0न0ब0ग0वि0पि0/आर.ओ./2019/34 न

25 जुलाई, 2019

प्रतिलिपि:

1. समस्त डीन ऑफ स्कूलस/विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय परिसर/ प्राचार्य/निदेशक, सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थानों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. डीन स्टूडेंट वेलफेयर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. परीक्षा नियंत्रक महोदय के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. उप कुलसचिव (मुख्य परीक्षा)/गोपनीय परीक्षा के सूचनार्थ प्रेषित।
5. अनुभागीय अधिकारी, प्रभारी एवं समस्त पटल प्रभारी मुख्य/व्यावहारिक परीक्षा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. समन्वयक, डाटा प्रोसेसिंग केन्द्र के सूचनार्थ प्रेषित।
7. कोर्डिनेटर ईग्मनेंस को सूचनार्थ प्रेषित।
8. सिस्टम मैनेजर को इस आशय से प्रेषित कि इस कार्यालय आदेश को विश्वविद्यालय की मुख्य वेबसाइट www.hnbgu.ac.in पर प्रसारित करें।
9. निजी सचिव कुलसचिव-गार्डफाइल में संकलनार्थ प्रेषित।
10. वैयक्तिक सहायक, कुलपति कार्यालय - माननीय कुलपति महोदय जी के सादर सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव